संख्या-06/एफ1-309/2015 श्र0सं0

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

अशोक कुमार सिंह

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक -

विषय: राज्य योजना-ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रशिक्षण शिविरों का संगठन योजना का ₹ 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख) सामान्य श्रमिकों हेतु एवं ₹ 15.00 लाख (रू० पन्द्रह लाख) अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रमिकों हेतु यानी कुल ₹ 50.00 लाख (रू० पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवधि विस्तार की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाकर विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि0(2) दिनांक 03.01.08 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. इस योजना के अतंर्गत स्वीकृत ₹ 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख) सामान्य श्रमिकों हेतु एवं ₹ 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) अमुसूचित जाति /जनजाति के श्रमिकों हेतु यानी कुल ₹ 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) मात्र की लागत पर राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागृति लाने तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित किया जाना है ।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट उपबंध स्वीकृत है, इसके वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि शत प्रतिशत रहने की सम्भावना है ।

4. योजनान्तर्गत स्वीकृत/व्यय की जानेवाली राशि की निकासी निम्नांकित आय-व्ययक शीर्ष से की जायेगी (1) **ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के सामान्य श्रमिकों के लिए-** आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी 2230011030101) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5230 के अंतर्गत-

(क) 13-01	-	कार्यालय व्यय	-	₹ 13,65,000=00
(ख) 20-02	-	कॉनफरेन्स कार्यशाला, सेमिनार	-	₹ 21,35,000=00
		कुल व्यय	-	**₹ 35,00,000=00**

(रूपये पैंतीस लाख) मात्र ।

(2) **ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जन जाति श्रमिकों के लिए -**
आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी 2230017890101) के अंतर्गत-

(क) 13-01	- कार्यालय व्यय	-	₹ 5,85,000=00
(ख) 20-02	-कॉन्फ्रेन्स कार्यशाला, सेमिनार	-	₹ 9,15,000=00
	कुल योग	-	**₹ 15,00,000=00**

(रूपये पन्द्रह लाख) मात्र ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में उचित इकाईयों से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

उक्त के आलोक में अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है :-

(क)	प्रशिक्षण के दिन एक दिन की मजदूरी (तत्समय प्रवृत्त दर के अनुसार दी जाएेगी)	8442X225.00=	₹ 18,99,450
(ख)	आने जाने का मार्ग व्यय	8442X105.00=	₹ 8,86,410
(ग)	एक दिन का भोजन/ नास्ता	8442X109.00=	₹ 9,20,178
(घ)	शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, जिला होर्डिग आदि (प्रति शिविर)	38X20000.00=	₹ 7,60,000
(ड.)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सेमिनार, सिम्पोजियम आदि (वार्षिक)	रू0 480000 =	₹ 4,80,000
		कुल योग	₹ **49,46,038** ***या***
			₹ **50.00** ***लाख***

5. यह चालू योजना है। गत वर्ष इस योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-1738 दिनांक-22.06.14 द्वारा दी गयी है ।

6. इसके निकॉसी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप श्रमायुक्त कृषि श्रमिक/सहायक श्रमायुक्त, (कृ०श्र० सहित) /श्रम अधीक्षक (कृ०श्र० सहित) होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।

7. वित्तीय वर्ष के 2015-16 के माह जुलाई, 15 तक के चार माह के लिए लेखा अनुदान पारित किया गया है । वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.3.15 एवं 3429/वि (2) दिनांक-1.4.15 के अन्तर्गत उपबंधित राशि का एक तिहाई व्यय किया जा सकेगा ।

8. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।

10. इसकी निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-309/2015 श्र0सं0- 1456 पटना, दिनांक 18-5-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/श्रमायुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना /सभी उप श्रमायुक्त कृषि श्रमिक/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0 सहित) /सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0 सहित) /संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/प्रशाखा-5 (श्रम पक्ष) /प्रशाखा-6 (बजट शाखा, श्रम पक्ष) को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

18/5/15